110

संख्याः– 161 / XIV–1 / 2012–5(5) / 2011

प्रेषक,

आर0सी0 पाठक
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 17 फरवरी, 2012

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 में सहकारिता विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्याः–6951 / लेखा–बजट (169) / 2011–12 दिनांक 13 अक्टूबर, 2011, पत्र सं0 10233 / लेखा–बजट(169) / 2011–12 / दि0 21 जनवरी 2012 एवं वित्त विभाग के आदेश संख्याः–209 / XXVII (1) / 2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 व आदेश संख्याः–584 / XXVII (1) / 2011 दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 20011–12 में सहकारिता विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित **₹ 6,50,000 / – (रूपये छः लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि की व्यय की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:–

1. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार / दायित्व सृजित किया जाय। शासनादेश संख्याः–209 / XXVII (1) / 2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के प्रस्तर–2 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप त्रैमासिक व्यय हेतु फॉट निर्धारित करते हुये धनराशि सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध करायी जाय।

2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह मे 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0 13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। मूल बजट के विपरीत अवमुक्त बजट का पूर्ण उपयोग करने के बाद ही अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाएगा।

5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।

6. इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित बिन्दुओं/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फिल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग कर उसकी सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2– उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–18 के लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता आयोजनेत्तर, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03–सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण की निम्नलिखित सुसंगत इकाईयो के नामें डाला जायेगाः–

मानक मद	व मद का नाम	धनराशि (हजार रू0 में)
04–	यात्रा व्यय	150
08–	कार्यालय व्यय	300
16–	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	200
	योग	650

(रू0 छः लाख पचास हजार मात्र)

3:– ये आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्याः–209/ XXVII (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 तथा आदेश संख्याः–584/XXVII (1)/2011 दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0सी0 पाठक)
सचिव।

संख्याः–161 (1)/XIV–1/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. प्रभारी मिडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव।